

राज्य योजना आयोग  
मध्यप्रदेश

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 15/5/15

क्रमांक/ 251 /रा.यो.आ./2015/प्रशा.-1 : म.प्र. शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-11-1/2008/नियम चार, दिनांक 24.01.2008 एवं ज्ञाप क्रमांक एफ-11-1/2008/नियम चार/दिनांक 01.04.2008 एवं ज्ञाप क्रमांक एफ-11-1/2008/नियम चार/दिनांक 24.09.2008 तथा क्रमांक एफ-11-17/2014/नियम चार/दिनांक 30.09.2014 में निहित निर्देशानुसार समयमान वेतनमान समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य योजना आयोग कार्यालय में पदस्थ तृतीय श्रेणी/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है-

क्रं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान वेतनमान	देय तृतीय समयमान वेतनमान	30 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात्	समयमान वेतनमान दिये जाने का दिनांक
1	2	3	4	6	5	7
1.	श्री डी.एस. रावत	शी.लेखक श्रेणी-1	9300-34800 +4200GP	15600-39100+5400	30 वर्ष	01.07.14
2.	श्री जी.पी. बाकें	शी.लेखक श्रेणी-1	9300-34800 +4200GP	15600-39100+5400	30 वर्ष	01.07.14
3.	श्रीमती उषा भटनागर	सहा. ग्रेड-1	5200-20200 +2800GP	9300-34800+3200	30 वर्ष	01.07.14
4.	श्रीमती निर्मला सोनी	सहा. ग्रेड-2	5200-20200 +2800GP	9300-34800+3200	30 वर्ष	17.10.14
5.	श्री अब्दुल रशीद	वाहन चालक	5200-20200 +2800GP	9300-34800+3200	30 वर्ष	01.07.14
6.	श्री गोपाल दास	वाहन चालक	5200-20200 +2800GP	9300-34800+3200	30 वर्ष	01.07.14
7.	श्री प्यारेलाल	दफ्तरी	5200-20200 +1800GP	5200-20200+1900	30 वर्ष	01.07.14
8.	श्री रमेश सिंह	जमादार	5200-20200 +1800GP	5200-20200+1900	30 वर्ष	01.07.14
9.	श्री रामसमुर मिश्रा	दफ्तरी	5200-20200 +1800GP	5200-20200+1900	30 वर्ष	01.07.14 से सेवानिवृत्त दि. 31-10-14 तक
10.	श्री मांगीलाल व्यास	दफ्तरी	5200-20200 +1800GP	5200-20200+1900	30 वर्ष	01.07.14
11.	श्री सहवीर राम	भृत्य	5200-20200 +1800GP	5200-20200+1900	30 वर्ष	01.12.14
12.	श्री पूरन सिंह	भृत्य	5200-20200 +1800GP	5200-20200+1900	30 वर्ष	01.12.14
13.	श्री रामबाबू	भृत्य	5200-20200 +1800GP	5200-20200+1900	30 वर्ष	01.07.14

समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण मूलभूत नियम 22 (A) (i) के तहत होगा एवं वेतन वृद्धि की तिथि पूर्ववत ही रहेगी।

निरंतर.....2

सिविल सेवा के किसी सदस्य की पदोन्नत होने पर यदि वह पहले से पदोन्नति पद के वेतनमान पर इस योजना अन्तर्गत नियुक्त है तो उसे पदोन्नति पश्चात् वेतन निर्धारण हेतु अपने मूल पद के संदर्भ में मूलभूत नियम 22 (D) के अन्तर्गत अथवा उच्चतर वेतनमान में प्राप्त वेतन के संदर्भ में मूलभूत नियम 22 (A) (ii) के अन्तर्गत जो भी अधिक लाभदायक हो का लाभ उपलब्ध होगा।

उच्चतर वेतनमान में वेतन नियत पश्चात् शासकीय कर्मचारी के वेतन नियतन की जांच संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन से कराना सुनिश्चित करें।

(सदस्य सचिव द्वारा अनुमोदित)

*Mohu*

प्रमुख सलाहकार  
राज्य योजना आयोग,  
मध्यप्रदेश

पृ.क्र. 252/रा.यो.आ./2015/प्रशा.-1

भोपाल, दिनांक-15/5/15

प्रतिलिपि-

1. उप सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. उप सचिव, म.प्र. शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. लेखापाल/लेखाशाखा (वेतन बिल/प्रशा-2/रा.यो.आ.)
5. सम्बन्धित तृतीय श्रेणी कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ओर सूचनार्थ।

*Aniket*  
14.05.15

उप सचिव  
राज्य योजना आयोग,  
मध्यप्रदेश

सिविल सेवा के किसी सदस्य की पदोन्नत होने पर यदि वह पहले से पदोन्नति पद के वेतनमान पर इस योजना अन्तर्गत नियुक्त है तो उसे पदोन्नति पश्चात् वेतन निर्धारण हेतु अपने मूल पद के संदर्भ में मूलभूत नियम 22 (D) के अन्तर्गत अथवा उच्चतर वेतनमान में प्राप्त वेतन के संदर्भ में मूलभूत नियम 22 (A) (iii) के अन्तर्गत जो भी अधिक लाभदायक हो का लाभ उपलब्ध होगा।

उच्चतर वेतनमान में वेतन नियत पश्चात् शासकीय कर्मचारी के वेतन नियन्त्रण की जांच संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन से कराना सुनिश्चित करें।

(सदस्य सचिव द्वारा अनुमोदित)

*M. S. S.*

प्रमुख सलाहकार  
राज्य योजना आयोग,  
मध्यप्रदेश

पृ.क्र. 1252/रा.यो.आ./2015/प्रशा.-1

भोपाल, दिनांक-15/5/15

प्रतिलिपि-

1. उप सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. उप सचिव, म.प्र. शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, संतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. लेखापाल/लेखाशाखा (वेतन बिल/प्रशा-2/रा.यो.आ.)
5. सम्बन्धित तृतीय श्रेणी कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ओर सूचनार्थ।

*S. S. S.*  
14.05.15

उप सचिव  
राज्य योजना आयोग,  
मध्यप्रदेश